प्रेषक,

राकेश त्रिपाठी,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–8/
विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0 एक्ट,
बरेली।

सेवा में,

महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश,
बरेली।

विषयः सम्पत्ति क्रय किये जाने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान् निवेदन है कि अद्योहस्ताक्षरी वर्तमान समय में न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–5/विशेष न्यायाधीश, गैगेस्टर एक्ट, बरेली के पद पर नियुक्त है। अद्य ोहस्ताक्षरी द्वारा ग्राम बसडीला रौसड, तहसील सदर, जिला गोरखपुर में सम्पत्ति आ0नं0–981, रकबा 6.2डी0, 2725 वर्ग फीट, जिसकी चौहद्दी– पूरब– चकरोड़ 10 कड़ी, पश्चिम– जमीन विनय मल्ल, उत्तर–चकरोड़ 15 कड़ी एवं दक्षिण–खेत हरेन्द्र, को क्रय करने हेतु विक्रेतागण जयगोविन्द मिश्र पुत्र स्व0 शान्तेश्वर मिश्र व माया देवी पत्नी स्व0 शान्तेश्वर मिश्र, निवासीगण बसडीला रौसड, पो0 हेमधापुर, जनपद गोरखपुर से 100/–रू0 मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल ई–स्टाम्प पर इकरारनामा किया गया है, जिसमें सम्पत्ति को मु0–7,00,000/–रू0 में क्रय किये जाने एवं अग्रिम धनराशि के रूप में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा खाता सं0–3671000101046764, बैंक पंजाब नेशनल बैंक से खाता सं0–1578000100227430 बैंक बड़ौदा ग्रामीण बैंक में दिनांक 07.03.2024 को मु0–1,00,000/–रू0 एवं दिनांक 08.03.2024 को मु0–1,00,000/–रू0 स्थानान्तरित किये गये है। शेष धनराशि बैनामा के समय प्राप्त कराया जाना उल्लिखित किया गया है। अद्योहस्ताक्षरी के बैंक खाता सं0– 3671000101046764, बैंक पंजाब नेशनल बैंक में वर्तमान समय में मु0 36,99,971/–रू0 जमा है। अद्योहस्ताक्षरी के बचत खाता उपरोक्त में, इकरारनामा के निष्पादन में बैनामा कराये जाने हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है।

यह भी सादर अवगत कराना है कि विक्रेतागण जयगोविन्द मिश्र पुत्र स्व0 शान्तेश्वर मिश्र व माया देवी पत्नी स्व0 शान्तेश्वर मिश्र का कोई भी वाद मेरे न्यायालय में लम्बित नही है एवं न ही इनका कोई भी फौजदारी अथवा दीवानी वाद किसी न्यायालय में लम्बित होने की अद्योहस्ताक्षरी को जानकारी है।

अतः श्रीमान् जी से विनम्र निवेदन है कि उक्त सम्पत्ति ग्राम बसडीला रौसड, तहसील सदर, जिला गोरखपुर में सम्पत्ति आ0नं0–981, रकबा 6.2डी0, 2725 वर्ग फीट, जिसकी चौहद्दी– पूरब– चकरोड़ 10 कड़ी, पश्चिम– जमीन विनय मल्ल, उत्तर–चकरोड़ 15 कड़ी एवं

.........2

दक्षिण—खेत हरेन्द्र का बैनामा कराये जाने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय,

दिनांक 03.05.2024

Rakesh
03/05/24
(राकेश त्रिपाठी)
विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0—5
बरेली।

संलग्नक—1. छाया प्रति पासबुक,
2. छाया प्रति इकरारनामा।